न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 05/ 2019

गुरमेल सिंह पुत्र बिशन सिंह जाति जट सिख निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

अपीलांट

बनाम

सरपंच ग्राम पंचायत बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू– राजस्व अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री राकेश सिहाग अधिवक्ता (अपीलान्ट)

2 एक पक्षीय

दिनांक : 07.11.19

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता स्व. बिशन सिंह के नाम चक 2 बी एन डब्लयू खाता संख्या 55/88 प.न. 39/119 मु.न .33 कि.न. 6 ता 10 में कुल खाता 1.265 है. आराजी में से 1/2 हिस्सा आराजी दर्ज कागजात माल है एव उक्त आराजी पर अपीलान्ट के पिता का कब्जा चलता रहा है एव अपीलान्ट के पिता की मृत्यू होने के उपरान्त उक्त आराजी पर अपीलान्ट की कब्जा काश्त रही है एव स्व. बिशन सिंह के एक मात्र वारिस अपीलान्ट ही है उक्त आराजी के अलावा भी अपीलान्ट के पिता के नाम चक 2 बी जी एस एव चक 33 के एस डी में भी आराजी खातेदारी दर्ज कागजात माल थी जो कि अपीलान्ट के नाम से दर्ज कागजात हो चूकी है एव अपीलान्ट की माता की भी मृत्यू हो चूकी है एव मृत्यू प्रमाण की फोटो प्रति एवं वारिस प्रमाण पत्र संलग्न अपील है। अपीलान्ट की विरासतन भूमि का इन्तकाल स्व. बिशन सिंह की मृत्यू होने के उपरान्त दिनांक 31.08.2015 को पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के नाम से दर्ज किया गया था एवं जिसे गिरदावर द्वारा मिलान किया गया एवं बिशन सिंह की पत्नी का मृत्यू प्रमाण पत्र पेश करने के आदेश दिये गये थे जो अपीलान्ट ने पेश कर दिया था तत्पश्चात समस्त विधिक प्रक्रिया अपनाये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट के समक्ष बाबत स्वीकृति हेतू पेश किया गया था ।रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट की विरासतन भूमि का ईन्तकाल बिना किसी विधिक कारण के एकतरफा तौर पर मनमाने तरीके से राजनैतिक रंजिशवश अस्वीकृत दिनांक 5.04.2019 को पटवारी हल्का द्वारा ईन्तकाल दर्ज करने के 4 वर्ष पश्चात कर दिया है। जिससे अपीलान्ट के हक व अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है रेस्पोडेन्ट द्वारा जानबूझकर राजनैतिक रंजिशवश अपीलान्ट को मानसिक क्षति कारित करने हेतू उक्त आदेश दिया गया है जो कि अपीलान्ट के हक व अधिकारों पर कत्तई बेअसर है अपीलान्ट की विरासतन भूमि है एवं जिसका ईन्तकाल बिना किसी विधिक कारण के अस्वीकृत नही किया जा सकता था एवं पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया ईन्तकाल विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

के अधीन हुआ है व रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अस्वीकृत किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना किसी विधिक कारणों के अपीलान्ट की विरासतन आराजी का ईन्तकाल अस्वीकृत किया गया है जो कि विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण काबिले निरस्ती के है। वादाधीन आराजी अपीलान्ट की विरासतन आराजी है एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा इन्तकाल दर्ज होने के 4 वर्ष पश्चात अपीलान्ट को हैरान व परेशान करने की नीयत से एव स्वंय की लापरवाही को छुपाने के लिये इन्तकाल अस्वीकृत किया है इसलिए अपीलान्ट आदेश दिनांक 5.04.2019 ईन्तकाल संख्या 487 को निरस्त करवाकर आराजी का ईन्तकाल विरासतन भूमि होने एव स्व. बिशन सिंह का एकमात्र वारिस अपीलान्ट होने के आधार पर अपने नाम दर्ज करवाने का कानूनन हक अधिकारी है।

लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपीलकृत आदेश दिनांक 05.04.2019 इन्तकाल संख्या 487 को निरस्त फरमाया जाकर चक 2 बी एन डब्लयू खाता संख्या 55/88 प.न. 39/119 मु.न .33 कि.न. 6 ता 10 में कुल खाता 1.265 है. आराजी में से स्व. बिशन सिंह के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा आराजी का ईन्तकाल अपीलान्ट के नाम स्व. बिशन सिंह का एकमात्र वारिस होने के कारण विरासतन अपीलान्ट के नाम से दर्ज रिकार्ड किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

अपील अपीलान्ट पेश होने पर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किये जाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर रेस्पोडेन्ट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अपीलान्ट सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया, वादाधीन चक 2 बी एन डब्लयू केखातासंख्या 55/58 में दर्ज कुल खाता 1.265 है. आराजी में से 1/2 हिस्सा आराजी अपीलान्ट के पिता बिशन सिंह के नाम से दर्ज कागजात है एव इसके अलावा अपीलान्ट के पिता केनाम से चक 2 बी जी एस में 16 बीघा आराजी में से 1/2 हिस्सा व चक 33 केएस डी खातासंख्या 26/15 में 0.759 है. आराजी में से 1/2 हिस्सा आराजी दर्ज कागजात माल थी जहां बिशन सिंह की मृत्यू होने के पश्चात आराजी अपीलान्ट के नाम से दर्ज कागजात हुयी है जिसकी जमाबंदी अपीलान्ट ने पेश की है एवं वादाधीन इन्तकाल संख्या 487 चक 2 बी एन डब्लयू में भी पटवारी हल्का द्वारा मृत्यू प्रमाणव वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत हाकमाबाद पेश होना अंकित किया है परन्तु ग्रामपंचायत बुधरवाली द्वारा बिना कोई विधिक कारण बताये ईन्तकाल को निरस्त किया है जो कि वादाधीन आराजी अपीलान्ट की विरासतन भूमि है एव नामान्तरण एक आवश्यक कार्यवाही है एव बिना किसी विधिक कारण के इन्तकाल को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है, उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत बुधरवाली द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.04.2019 चक 2 बी एन डब्ल्यू इन्तकाल संख्या 487 को निरस्त किया जाता है एव तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

है कि चक 2 बी एन डब्लयू के खाता संख्या 55/88 प.न. 39/119 मु.न. 33 कि.न .6 ता 10 कुल खाता 1.265 है. आराजी में से स्व. बिशन सिंह पुत्र सुच्चा सिह के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा आराजी का विरासतन इन्तकाल अपीलान्ट गुरमेल सिह पुत्र बिशन सिंह के नाम दर्ज किया जाकर, राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट के नाम अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेश की पालना हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.11.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07.11.19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2019.11.22 17:52:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: